रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2001.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 22 अगस्त, 2001/31 श्रावण, 1923

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 22 अगस्त, 2001

संख्या 1-54/2001-वि0-स0.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत "हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2001

1382-राजपत्र/2001-22-8-2001—1,343. (2001) मूल्य : 1 रुपया।

2001 का विधेयक संख्यांक 12)" जो आज दिनांक 22 अगस्त, 2001 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुर:स्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

अजय भण्डारी,
सचिव ।

2001 का विधेयक संख्यांक 12

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2001

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 1996-97 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए उस वर्ष प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2001 है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए 6,81,46,66,893 रुपए की और राशि प्राधिकृत करना ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका योग 6,81,46,66,893 रुपए (छह अरब, इक्यासी करोड़, छियालीस लाख, छियासठ हजार, आठ सौ तिरानवे रुपए) है, वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाएंगी ।

विनियोग ।

3. इस अधिनियम के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजन के लिए प्राधिकृत समझी जाने वाली राशियां, वित्तीय वर्ष 1996-97 से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त, सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी ।

अनसूची

(धाराएं 2 और 3 देखें)

1	2		3		
मांग संख्या	सेवाएं एवं प्रयोजन		निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
			विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
			रुपए	रुपए	रुपए
1	विधान सभा और निर्वाचन	(राजस्व)	—	27,419	27,419
2	राज्यपाल एवं मन्त्री परिषद्	(राजस्व)	6,92,762	—	6,92,762
4	सामान्य प्रशासन	(पूंजी)	9,51,23,260	—	9,51,23,260
5	भू-राजस्व	(राजस्व)	86,83,921	—	86,83,921
6	आबकारी और कराधान	(राजस्व)	4,19,887	—	4,19,887
7	पुलिस और सम्बद्ध संगठन	(राजस्व)	38,91,783	—	38,91,783
8	शिक्षा, खेलें तथा कला और संस्कृति	(राजस्व)	4,72,94,439	—	4,72,94,439
		(पूंजी)	15,34,561	—	15,34,561
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	(राजस्व)	35,78,808	—	35,78,808
10	लोक निर्माण	(राजस्व)	55,16,81,715	—	55,16,81,715
11	कृषि	(पूंजी)	71,46,097	—	71,46,097
12	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण	(राजस्व)	7,04,41,959	—	7,04,41,959
		(पूंजी)	2,82,39,542	—	2,82,39,542
15	मत्स्य	(पूंजी)	2,49,642	—	2,49,642
17	सड़कें और पुल	(राजस्व)	1,08,61,786	—	1,08,61,786
		(पूंजी)	5,14,13,139	101	5,14,13,240
18	आपूर्ति, उद्योग और खनिज	(राजस्व)	2,91,34,200	—	2,91,34,200
20	ग्रामीण विकास	(पूंजी)	253	—	253
23	जल और विद्युत विकास	(पूंजी)	8,78,54,000	—	8,78,54,000
26	पर्यटन और आतिथ्य संगठन	(राजस्व)	45,55,944	—	45,55,944
28	जलापूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास।	(राजस्व)	16,68,13,996	—	16,68,13,996
29	वित्त	(पूंजी)	—	5,52,32,00,414	5,52,32,00,414
31	जनजातीय विकास	(राजस्व)	9,49,10,728	—	9,49,10,728
		(पूंजी)	2,69,16,537	—	2,69,16,537
	जोड़		1,29,14,38,959	5,52,32,27,934	6,81,46,66,893

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के खण्ड (1) के साथ पठित, अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान अनुदान और विनियोग से अधिक किए गए व्यय को पूरा करने के लिए और अधिक धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
दिनांक 22 अगस्त, 2001

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[वित्त विभाग, फाईल नं0 फिन-ए-डी (6) 1/2001]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2001 की विषय-वस्तु के बारे में सचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2001

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 1996-97 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने क लिए, कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

प्रेम कुमार धूमल,
मख्य मन्त्री ।

रामेश्वर शर्मा,
सचिव (विधि) ।

शिमला :
दिनांक 22 अगस्त, 2001

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 12 of 2001.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 2001

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the authorisation of appropriation of certain amount out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet the amount spent on certain services for the financial year, 1996-97 in excess of the amount authorised or granted for those services for that year.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-second Year of the Republic of India, as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2001.

Authorisation of a further sum of Rs. 6,81,46,66,893 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet certain expenditure for the financial year 1996-97.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 6,81,46,66,893 (six hundred eighty one crores, forty six lakh, sixty six thousands, eight hundred ninety three rupees) shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the Schedule during the financial year 1996-97 in excess of the amount authorised or granted for those services and for that year.

Appropriation.

3. The sums deemed to have been authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year, 1996-97.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

1	2		3		
Number of Demand	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
1	Vidhan Sabha and Election	(Revenue)	—	27,419	27,419
2	Governor and Council of Ministers	(Revenue)	6,92,762	—	6,92,762
4	General Administration	(Capital)	9,51,23,260	—	9,51,23,260
5	Land Revenue	(Revenue)	86,83,921	—	86,83,921
6	Excise and Taxation	(Revenue	4,19,887	—	4,19,887
7	Police and Allied Organisation	(Revenue)	38,91,783	—	38,91,783
8	Education, Sports, Arts and Culture	(Revenue)	4,72,94,439	—	4,72,94,439
		(Capital)	15,34,561	—	15,34,561
9	Health and Family Welfare	(Revenue)	35,78,808	—	35,78,808
10	Public Works	(Revenue)	55,16,81,715	—	55,16,81,715
11	Agriculture	(Capital)	71,46,097	—	71,46,097
12	Irrigation and Flood Control	(Revenue)	7,04,41,959	—	7,04,41,959
		(Capital)	2,82,39,542	—	2,82,39,542
15	Fisheries	(Capital)	2,49,642	—	2,49,642
17	Roads and Bridges	(Revenue)	1,08,61,786	—	1,08,61,786
		(Capital)	5,14,13,139	101	5,14,13,240
18	Supplies, Industries and Minerals	(Revenue)	2,91,34,200	—	2,91,34,200
20	Rural Development	(Capital)	253	—	253
23	Water and Power Development	(Capital)	8,78,54,000		8,78,54,000
26	Tourism & Hospitality Organisation	(Revenue)	45,55,944	—	45,55,944
28	Water Supply, Sanitation, Housing and Urban Development.	(Revenue)	16,68,13,996	—	16,68,13,996
29	Finance	(Capital)	—	5,52,32,00,414	5,52,32,00,414
31	Tribal Development	(Revenue)	9,49,10,728	—	9,49,10,728
		(Capital)	2,69,16,537	—	2,69,16,537
		Total	1,29,14,38,959	5,52,32,27,934	6,81,46,66,893

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of article 204 read with clause (1) of article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure on account of expenses in excess of grants and appropriations for the financial year 1996-97.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

SHIMLA :
The 22 *August*, 2001.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin.-A-D(6)1/2001]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation (No. 3) Bill, 2001 recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the aforesaid Bill in the Legislative Assembly.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 2001

A

BILL

to provide for the authorisation of appropriation of certain amount out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet the amount spent on certain services for the financial year 1996-97 in excess of the amount authorised or granted for those services for that year.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

RAMESHWAR SHARMA,
Secretary (Law).

SHIMLA :
The 22 August, 2001.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित